

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
--: कार्यालय आदेश :-

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के नियम 19 के अनुसार निम्न व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) को राज्य सेवा में/वर्तमान पद पर कॉलम संख्या 6 में अंकित निरन्तर संतोषजनक सेवावधि पूर्ण करने पर उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 10 में अंकित तिथि से आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

क्र. सं.	नाम कार्मिक मय पद स्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि)	व्याख्याता I का विषय	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण एवं चयन का प्रकार	स्वीकृत एसीपी I, II, III	वेतन ब्रेण्ड	स्वीकृत ग्रेड वेतन	स्वीकृति तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	यामिनि पंवार जैतारण	अंग्रेजी	12.07.71	07.01.92	23-07-16 DPC 16-17	III	एल-13	एल-13	07.01.22
2	तुशार कांति घोष खेतड़ी नगर	अंग्रेजी	15.04.1968	29.01.1999	29.01.1999 सीधी भर्ति	II	एल-15	एल-15	29.01.19
3	रचना पारीक बीदासर	संस्कृत	21.10.1969	08.04.92	20.06.15 DPC 14-15	III	एल-15	एल-15	02.07.22

उपरोक्त व्याख्याता का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।

✍

(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 28/11/2022

क्रमांक:शिविरा-मा/संस्था/सी-1/अंग्रेजी-संस्कृत/एसीपी/ऑनलाइन/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संबंधित उपनिदेशक (माध्यमिक).....
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि
4. संबंधित कार्मिक
5. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा
6. गार्ड फंजिका

Rajasthan Education Department



सत्यमेव जयते

✍

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर